IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 3, February 2024

जनजाति क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रोत्साहन की विभिन्न योजनाएं एवं उनका आकलन

डॉ. राजकुमार कुशवाहा[1] एंव डॉ. जेंदलाल सिंह[2]
पुस्तकालयध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष
शासकीय महाविद्यालय, रामपुर नैकिन, सीधी, म.प्र[1]
शासकीय महाविद्यालय, सिहावल, सीधी, म.प्र.[2]

सारांशः– जनजाति परिवार अथवा परिवारों के समूहों का एक संग्रह है जिसका एक ही सामान्य नाम होता है जिसके सदस्य एक ही भू–क्षेत्र में निवास करते है एक भाषा बोलते हैं और विवाह, वृत्ति, शिक्षा, उच्चशिक्षा या व्यवसाय के प्रति कुछ निषेधों का पालन करते हैं तथा उनमें परस्पर आदान–प्रदान एवं दायित्यों की पारस्परिकता की एक सुनिष्चित व्यवस्था विकसित हो गई है। जनजातियों प्रारंभ से ही दूरस्थ एवं निर्जन स्थानों पर निवास करते हैं परिणाम स्वरूप इन पर षिक्षा एवं उच्च षिक्षा का बहुत कम प्रभाव पड़ा। इसी कारण ये सदैव ही पुस्तकालय के नवीन साधनों के आभावों से ग्रस्त रहे है। इसलिए जनजातियों की अपनी अलग एवं विषिष्ट पहचान बनी रही है। आज भी दूरस्थ स्थानों पर जनजातियों को सैंकड़ों वर्ष पूर्व की सभ्यता में षिक्षा और जीवन यापन करते हुए देखा जा सकता है।

डॉ.बी.आर.अम्बेडकर ने 25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा में अपने भाषण में कहा था कि हम 26 जनवरी 1950 को एक ऐसे जीवन में पदार्पण करने जा रहे हैं, जो अंर्तविरोधियों से भरा हुआ है। राजनीति की दृष्टि से हममें समानता होगी किन्तु सामाजिक, आर्थिक जीवन में असमानता के शिकार होंगे। राजनीति में हम एक आदमी के लिये एक वोट और एक वोट का मूल्य सिद्वान्त अपनायेंगे। किन्तु हमारे सामाजिक, आर्थिक जीवन में हम अनेक सामाजिक और आर्थिक ढांचे की वजह से हर व्यक्ति का एक ही मूल्य, सिद्धान्त से वंचित रहेंगे।

शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल से लेकर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाकाल तक कई नवीन योजनाएं प्रारम्भ की गई। इसके अन्तर्गत माध्यमिक स्तर से लेकर व्यावसायिक शिक्षा तक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, छात्रावास एवं आश्रमों की सुविधा, शैक्षणिक शुल्क एवं अन्य परीक्षा शुल्कों की प्रति प्रावीण्य छात्रवृत्ति, छात्रगृह योजना, संस्थाओं में पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय, विद्यार्थी कल्याण आदि लाभ प्रदान किया जा रहा है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक मध्य प्रदेश में शिक्षा की विभिन्न योजनाओं पर लाखों रूपये व्यय हुये।

उच्च षिक्षा विभाग केवल ज्ञान और कौषल का ही विकास नही करता बल्कि शिक्षित व्यक्ति को राष्ट्र निर्भर बनाने का भी मार्ग प्रषस्त कर, समाज के स्तर को ऊपर उठाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी के अवसर प्रदान करता है। शासकीय विष्वविद्यालय, महाविद्यालयों के लिए भवन निर्माण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निःषुल्क पुस्तकें और स्टेषनरी का प्रदाय, लाइब्रेरी आटोमेषन, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पुस्तकालय विकास एवं आधुनिक तकनीक से षिक्षण व्यवस्था जैसी आदि योजनाए संचालित की गई है।

परिचय

किसी भी षिक्षण सस्था में सबसे महत्त्वपर्ण स्थान वहाँ का पुस्तकालय होता है। मध्यपद्रेष के अनेक महाविद्यालयों के पुस्तकालय बहुत अच्छे हैं । इन्फ्लिबनेट और कम्प्यटूरीकरण के कारण वहां पर अद्यतन कैटलॉगिंग और नवीनतम पुस्तकें और

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 3, February 2024

जर्नल हैं । वहाँ पर ग्रथंपाल भी कुषल और प्रषिक्षित हैं विद्यार्थी और षिक्षक दोनों ही वहाँ अध्ययन करने में रूचिषील हैं लेकिन, अनके महाविद्यालयों के पुस्तकालयों का वातावरण वहां बैठकर पढने के लिये सुविधाजनक नहीं रह गया है।

पुस्तकों का रख–रखाव ठीक नहीं है। पुस्तकों की खरीदी में समय–बाह्य और अप्रांसगिक पुस्तकें खरीदी जा रही हैं प्रायः भौतिक सत्यापन भी अद्यतन और नियमानुसार नहीं हैं । यह अत्यन्त शोचनीय है। सामान्य ज्ञान, महापुरूषों की जीवनियाँ, साहित्यिक–सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले रचनाकारों के गद्य–पद्य के संग्रह, यात्रा वृत्तान्त, कृतित्व और भाषा–कौषल को विकसित करने वाले स्तरीय लखेकों के उपयोगी ग्रन्थों की व्यवस्था करना गथ्रंपाल का प्रधान कर्त्तव्य है । पुस्तकालय में बैठकर पढने की व्यवस्था न होनें पर समुचित प्रकाष व्यवस्था वाले शान्त वातावरण के कक्ष या स्थान उपलब्ध कराने की जिम्मदेारी प्राचार्य और गथ्रंपाल दोनों की है । ग्रथंपाल ऐसी व्यवस्था के निमित्त उद्यागे करेगें कि विद्यार्थियों को पुस्तकें मिलें और वे वाचनालय का भी लाभ ले सकें । पुस्तकालयों का परिवेष साफ–सुथरा हो, बैठने की व्यवस्था हो, पर्याप्त प्रकाष और पीने के पानी की सुचारु व्यवस्था हो इसे भी देखें ।

ग्रथंपाल का कर्त्तव्य है कि विद्यार्थियों एवं षिक्षकों के लिये पुस्तकालय में रीडिग व मोटिवेषन स्पेसेस बनाएं । महाविद्यालयीन समय सारिणी को ध्यान में रखते हुए पुस्तकालय की कक्षावार समय सारिणी बनाएं ताकि किसी भी विद्यार्थी को पुस्तकें निर्गत कराने में अपनी कक्षाओं को छोड़ना न पड़े नोंटिस बोर्ड पर सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिये अखबार की खबर पर आधारित प्रतिदिन एक प्रश्न और अगले दिन उसका उत्तर चस्पा करें 'आज का प्रश्न', 'आज का विचार' और 'सप्ताह की पुस्तक' जैसे नियमित और स्थायी स्तभं आरभं करें । व्यक्तित्व विकास आरै महापुरूषों की जीवनियों से सबंधित पुस्तकों की सूची बनाएं और नोंटिस बोर्ड पर चस्पा करें।

पुस्तकालय की उपलब्धता विद्यार्थियों के हित में कार्यालय समय के अतिरिक्त भी बनी रहे इसके लिये प्राचार्य और ग्रंथपाल दोनो मिलकर कार्य करेगे और यह सुनिष्चित करेगे कि कार्यालयीन समय में प्राध्यापकों और विद्यार्थियों को ग्रंथपाल की सहायता मिल सके । किसी भी स्थिति में इन्हें पुस्तकालयों से जोड़ा जाए।

ग्रंथपाल को चाहिए कि विद्यार्थियों को परियाजेना कार्य में मन से सहायता करें । उन्हें उस विषय की पुस्तकें बताने के साथ–साथ अन्य सहयोगी सामग्री का स्रोत भी बताना चाहिए । चाहें तो सके लिये वे हर विषय में एक सूची विषय के सबंधित प्राध्यापकों से बनवा कर रख सकते हैं

महाविद्यालय में गठित होने वाली साहित्यिक गतिविधियों में बुकुकरीडिंग क्लब बहुत रोचक और महत्त्वपर्ण है। इस समिति में ग्रंथपाल को आवष्यक तौर पर रखा जाए और बुकरीडिंग क्लब का प्रभार ग्रंथपाल को दिया जाए । इनका दायित्व है कि विद्यार्थियों में पढ़ाई की दिनोदिन कम हो रही अभिरूचि को जागृत करने के लिये आवष्यक उपाय किया जावेगा।

साहित्य समीक्षा

बुक बैंक एवं सब्सीडाइज्ड स्कीम यहां काफी लोकप्रिय, ग्रंथालय प्रगति, आधुनिकता बनाने, नयी ग्रंथालय योजना तैयार करने एवं ग्रंथालय को निश्चय ही पुराना एवं समृद्ध ग्रंथालय, स्वीकृत अनुदान में कमी अन्य ग्रंथालयों की अपेक्षा ग्रंथालय एवं पाठकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग से विकास की ओर अग्रसर बताया गया है।

जनजातीय क्षेत्र की साक्षरता को भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है । वर्तमान समाज में शिक्षा का प्रसार इनमें भी करने के लिये प्रयत्नशील है वैसे इनमें उच्च शिक्षा का अभाव है क्यों कि ये लोंग अंधविश्वासी है। सामाजिक प्रथा के कारण स्त्रियों में साक्षरता का प्रतिशत ही कम है। उपरोक्त कथन की पुष्टि परिक्षेत्र के स्नातक महाविद्यालय व स्नातकोत्तर

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 3, February 2024

महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बालक/बालिकाओं का प्रवेश दर देखने से वस्तुस्थिति की जानकारी सुस्पष्ट विदित हो रही है।

अध्ययन का उददेश्य

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के विकास में महाविद्यालयीन ग्रंथालयों का मूल्याकंन की विषेषता के तथ्यो का एकीकरण।
2. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के विकास में महाविद्यालयीन ग्रंथालयों पर पड़ने वाले प्रभावो का अध्ययन करना।
3. महाविद्यालयीन ग्रंथालयों अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के विकास में उत्तर दाताओं के विचारो को जानना।
4. शासन द्वारा प्रस्तावित योजना एवं संचालित योजनाओं में छात्रों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।
5. शोध क्षेत्र की पुस्तकालयों का पता लगाना।
6. अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्र/छात्राओं के आवष्यक पुस्तकों को महत्व देना।
7. अनूसूचित जाति एवं जनजाति को पुस्तकालय का प्रचार–प्रसार करना एवं उसके महत्व को बताना।
8. अनूसूचित जाति एवं जनजाति को पुस्तकालय का महत्व बताते हुए क्रेन्द्र एवं राज्य सरकार को इस ओर आर्कषित करना।
9. अनूसूचित जाति एवं जनजाति को महाविद्यालय के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रीय पुस्तकालयों की स्थापना करना।
10. पुस्तकालय के प्रति आदिवासी छात्र/छात्राओं के रूझान का पता करना।
11. पुस्तकालय को आटोमेंषन के द्वारा नेटवर्क से जोड़ना।
12. विष्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हर जिले में एक केंद्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति पुस्तकालय का निर्माण करना।
13. भविष्य में आने वाले शोधार्थीयों को आधार प्रदान करना।

उच्चतर शिक्षा प्रणाली का विकास :

आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ज) के अंतर्गत उन सभी मामलों, में जो कि भारतवर्ष एवं अन्य देशों के विश्वविद्यालयों की शिक्षा से सम्बद्ध हैः सूचना एकत्र करने का अधिकार है । स्वतंत्रता के समय भारत में केवल 20 विश्वविद्यालय और 500 महाविद्यालय थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो संख्या विद्यमान थी उसकी तुलना में अब विश्वविद्यालयों से संबंधित संख्या 29 गुना हो चुकी है। महाविद्यालयों से संबंधित यह संख्या 71 गुना हो चुकी है।

मध्यप्रदेश में शासकीय महाविद्यालय 2024 में 1360 है। विश्वविद्यालय 56 प्रचलित कोर्स 299 और छात्र 148557 है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता रहा है ताकि विश्वविद्यालयों में, दाखिले, शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर पदों आदि पर भर्ती में आरक्षण नीति का सफल कार्यान्वयन हो सके। 31 मार्च, 2012 तक विभिन्न विश्वविद्यालयों में 128 अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठों कार्य कर रहे थे। वर्ष 2011–2012 के दौरान अ.जा./अ.ज.जा प्रकोष्ठों को कोई अनुदान जारी नहीं किया गया। समाज के वंचित वर्गों के लिए सामाजिक समता और सामाजिक आर्थिक गतिशीलता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उपचारात्मक अनुशिक्षण की योजना, स्नातक/स्नातकोत्तर स्तरों पर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सेवाओं में भर्ती के लिए अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 3, February 2024

अल्पसंख्यक/असपन्न वर्ग) छात्रों के लिए कार्यान्वित कर रहा है, ताकि अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./(अल्पसंख्यक/असम्पन्न/(अल्पसंख्यक/असम्पन्न) नेट /सेट के उम्मीदवारों को तैयार किया जा सके। ऐसे संस्थान जिनमें अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं, उन संस्थानों को आर्थिक सहायता के लिए विचाराधीन रखा जाता है। ऐसी अनुशिक्षण कक्षाओं के लिए सामान्य श्रेणी के उन उम्मीदवारों को भी अनुमति दी जा सकती है जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं।

पुस्तकालयक की गुणवत्ता आश्वासन संसाधन केन्द्र

उच्च शिक्षा, गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यायन के क्षेत्र की 50 नई पुस्तकों को संग्रह में शामिल किया गया । अंतर्राष्ट्रीय पीयर–रिव्यूड पत्रिकाओं के अभिदाय के अलावा, पुस्तकालय में वि.अ.आ.–इंफोनेट, ई–संसाधन सहायता संघों द्वारा प्रदान किए 500 पूर्ण संसाधनों तक पहुंच जारी है । वर्ष के दौरान स्कोपस के लिए अभिदाय शुरू किया गया । स्कोपस एक अनुदेश सूचक यंत्र है जिसका उद्देश्य किसी संस्थान/व्यक्ति के अनुसंधान प्रभाव का मूल्यांकन करने में सहायता करना है । एलसकवर वेंडर द्वारा स्कोप्स पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया । परामर्शदाताओं तथा शैक्षिणक पेशेवरों ने प्रशिक्षण में भाग लिया वर्ष के दौरान नाक को प्रस्तुत किया गया स्व–अध्ययन रिपोर्ट को डिजीटाईज करने संबधी परियोजना को आरंभ कर दिया गया। पुस्तकालय द्वारा प्राप्त पुस्तकों, पत्रिकाओं और सम्मेलन की कार्यवाहियों को प्रयोजन के लिए उपार्जित समन्वित पुस्तकालय प्रणाली द्वारा संगठित किया गया । संग्रह के लिए एकीकृत पहुंच प्रदान करने के लिए पुस्तकालय के सभी सामग्री को एक साथ लाने की अलग से वेबसाइट बनाने का कार्य चल रहा है ।

सुझाव

भारतीय संविधान में प्रावधान है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का सूचियों में प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात् परिणामों का मूल्यांकन किया जाय तथा आवश्यतानुसार नीति तथा सूची दोनो में संशोधन किया जाय। लेकिन ऐसा संशोधन नहीं किया गया इसलिए आवश्यक है कि संविधान में उल्लेखित प्रावधान का कड़ाई से पालन किया जायं विकास नीति से उचित पालन का सुझाव, जिन्हें विकास नीति के कारण रोजगार या शिक्षण संस्थाओं प्रवेश से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ न्याय करते समय अन्याय करना किसी भी स्थिति में न्याय संगत नहीं है। यद्यपि यह सत्य है कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महाविदयालय के छात्रों में पुस्तकालय विकास नीति के कारण जागरूकता आयी है, तथापि उतनी नहीं जितनी आशा थी। स्वतंत्रता से पहले इन वर्गों की स्थिति तथा वर्तमान स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद सामान्यतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इन वर्गों में काफी अधिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से चेतना आई है। संविधान में आरक्षण की व्यवस्था प्रथम बार 10 वर्ष के लिए की गई थी। लेकिन समीक्षा से मालूम हुआ कि अभी भी इन वर्गों की स्थिति में सराहनीय सुधार नहीं हुआ इस कारण से आरक्षण की अवधि क्रमशः बढ़ती रही, है। पुस्तकालय के विकासनीति के युजीसी उद्देश्यों के खिलाफ नहीं हैं छात्र सिर्फ इतना चाहते हैं कि पुस्तकालय के विकासनीति पर पूरी तौर से पुनर्विचार किया जाय तथा इसकी विकृतियों को दूर किया जाय और इस नीति पर आम सहमति हो। पुस्तकालय के विकासनीति के सफलतापूर्वक संचालन एवं कार्यान्वयन हेतु सुझाव निम्न हैं :–

1. रोजगार के मामलों में अवसर की समानता होनी चाहिए।
2. आरक्षण की एक सीमा हो।
3. गिरे तबके के लोगों को पर्याप्त शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान की जाएं और इस सुविधा की सुचना के तौर पर समीक्षा हो।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 3, February 2024

4. जाति और धर्म पर आधारित भेदभाव निषेध करने वाले कानूनों का कड़ाई से पालन किया जाय।
5. गिरे तबके के छात्रों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाय ताकि ये लोग भी महाविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त कर सकें।
6. आरक्षित वर्ग को स्वयं जागरूक होना चाहिए।
7. संविधान में ऐसा प्रावधान है कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों की सूची में प्रत्येक 10 वर्षों के बाद परिणाम का मूल्यांकन किया जाय और आवश्यतानुसार नीति व सूची दोनो में संशोधन किया जाय। लेकिन ऐसा संशोधन नहीं किया गया इसलिए आवश्यक है कि संविधान में अलिखित प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाय।
8. राष्ट्रव्यापी विचार के बाद आरक्षण नीति का पुननिर्माण होना चाहिए।
9. भारत में स्थानीय, प्रान्तीय एवं राष्ट्रीय स्तर में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरूद्ध मुहिम छेड़ी जाय, क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार उन्मूलन नहीं होगा तब तक कोई भी नीति एवं उसके कार्यान्वयन का परिणाम शून्य ही होगा।
10. राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं विशेषकर चिकित्सा महाविद्यालयों, यान्त्रिकी महाविद्यालयों, पालीटेक्निक संस्थाओं, आई.टी.आई. टेक्निकल स्कूलों, कृषि महाविद्यालयों व विधि महाविद्यालयों जैसे सभी व्यवसायिक तकनीकी व वैज्ञानिक शिक्षा संस्थाओं में पिछड़े वर्ग के छात्रों को प्रवेश हेतु 35 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जायें।
11. व्यवसायिक एवं तकनीकी महाविद्यालयों तथा आई.ए.एस., आई.पी.एस., आई.एफ.एस. तथा राज्य लोक सेवा आयोग में प्रवेश पूर्व विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े व निर्धनों के लिए हो।

वास्तव में महाविद्यालयों में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के छात्रों को अभी भी संरक्षण की आवश्यकता है क्योंकि इन वर्गों के छात्रों का प्रवेश तो होता है लेकिन ये छात्र बीच में ही छोड़ देते हैं या फिर प्रवेश ही नहीं करते यदि करते भी हैं तो कई साल पास होने में लग जाते हैं। अभी इन्हें विशेष प्रशिक्षण की जरूरत है ताकि देश के सभी वर्गों के लोग समुचित विकास कर सकें और देश अमन चैन से रहे, सबमें सद्भाव हो और सभी देश के विकास में अपना फर्ज अदा करें।

संदर्भ सूची

[1]. बघेल, डी.एस. सामाजिक अनुसंधान, साहित्य भवन प्रकाषन, आगरा

[2]. त्रिवेदी डॉ. आर.एन. एवं शुक्ला, डी.पी. (2000) रिसर्च मैथ्डोलॉजी, कालेज बुक डिपों, जयपुर

[3]. मिश्रा, लक्ष्मी (1982), मध्यप्रदेश में षिक्षा, मध्यप्रदेष हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल,

[4]. Journal of Higher Education, 11: 111-16.

[5]. चतुर्वेदी, देवीदत्त (1995), पुस्तकालय और समाज, हिमालय प्रकाषन हाउस, आगरा

[6]. www.mhrd.gov.in

[7]. www.mp.gov.in/highereducationmp

[8]. www.tribal.mp.gov.in

[9]. www.ugc.ac.in (11th Plan)